

मध्य प्रदेश शासन



मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005

के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित

विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण

राघवजी
वित्त मंत्री

वर्ष 2009-10

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1	प्राक्कथन	I
2	वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण; प्ररूप एफ -1	1
3	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण; प्ररूप एफ-2	8
4	राजकोषीय नीति युक्ति विवरण; प्ररूप एफ-3	18
5	राजकोषीय स्थिति के सिलेक्ट सूचकों का विवरण; प्ररूप एफ-4	23
6	राज्य सरकार के दायित्वों के घटक तथा दायित्वों पर ब्याज लागत/ निक्षेपों की गतिशीलता का विवरण; प्ररूप एफ-5	24
7	संचित निक्षेप निधि विवरण; प्ररूप एफ-6	26
8	राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण; प्ररूप एफ-7	27
9	प्रत्याभूति विमोचन निधि पर एक विवरण; प्ररूप एफ-8	28
10	वित्तीय आस्तियों का विवरण; प्ररूप एफ-9	29
11	राजस्व जो बढ़ाया गया पर वसूल नहीं किया गया (मुख्य कर और करेतर) का विवरण; प्ररूप एफ-10	30
12	राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा उनसे संबंधित वेतन के ब्यौरे का विवरण; प्ररूप एफ-11	31

प्राक्कथन

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन नियम, 2006 क्रमशः एक जनवरी 2006 एवं तीस जनवरी 2006 से प्रभावशील है।

अधिनियम की धारा 5 सहपठित नियम 3, 4, 5, एवं 7 के अन्तर्गत, राज्य शासन द्वारा, विधान सभा के समक्ष, वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (माइक्रोइकोनॉमिक फ्रेम वर्क स्टेटमेन्ट), मध्यम कालिक राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति युक्ति एवं प्रकटन विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में विधानसभा के समक्ष यह विवरण प्रस्तुत है।

प्ररूप एफ-1

(नियम 3 देखिए)

वृहद् आर्थिक रुपरेखा का विवरण

क. 1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत विचार-

1.1 प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तन का अखिल भारतीय स्तर पर तुलनात्मक विश्लेषण तालिका 1.1 में प्रदर्शित है। यह विश्लेषण राष्ट्रीय लेखों के संदर्भ में अपनायी गई नवीन श्रृंखला के आधार वर्ष 1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर किया गया है।

तालिका 1.1

अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन (स्थिर मूल्यों पर)

(प्रतिशत में)

क्षेत्र/वर्ष	अखिल भारतीय		मध्यप्रदेश	
	1999-2000	2007-08	1999-2000	2007-08
प्राथमिक	27.32	19.78	33.34	28.16
द्वितीयक	22.98	24.49	20.64	22.10
तृतीयक	49.70	55.73	46.02	49.74

(पूर्व वर्ष के प्रस्तुत विवरण में खनिज एवं खनन को द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था)

1.2 वर्ष 1999-2000 से 2007-08 तक अखिल भारतीय स्तर पर अर्थव्यवस्था की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 27.32 प्रतिशत से घटकर 19.78 प्रतिशत हुआ है तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 49.70 प्रतिशत से बढ़कर 55.73 प्रतिशत हो गया है। इसकी तुलना में मध्य प्रदेश के लिये यह परिवर्तन सीमित है।

1.3 वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान 4.49 प्रतिशत था जो वर्ष 2007-08 में घटकर 3.31 प्रतिशत हो गया है। इस गिरावट का मुख्य कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राज्य की अर्थव्यवस्था के मुकाबले उच्च दर पर वृद्धि है। राजकोषीय नीति के माध्यम से यह प्रयास है कि लोक निवेश में

वृद्धि करते हुये तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुये इस अंतर को दूर किया जाये।

- 1.4 वर्ष 2008-09 के दौरान प्रदेश में लगातार तीसरे वर्ष सामान्य से कम वर्षा हुई है। प्रदेश के 41 जिलों की 152 तहसीलों सूखे से प्रभावित रहीं हैं, जिसका व्यापक असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर होने की संभावना है।

2. सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि

- 2.1 वर्ष 2007-08 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस. डी. पी.) के त्वरित अनुमान अनुसार जी. एस. डी. पी. में स्थिर भावों (वर्ष 1999-2000) पर गत वर्ष की तुलना में 5.25 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2008-09 की पहली छमाही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों के समीक्षा विवरण में यह उल्लेख था कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2007-08 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की तुलना में 6.1 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। अग्रिम अनुमानों की तुलना में त्वरित अनुमानों में गिरावट का मुख्य कारण प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन में कमी रही है।
- 2.2 मध्यप्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2007-08 की अवधि में 3.93 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्रवृत्ति रेखा आधार पर दर्ज की गई जो राष्ट्रीय औसत 7.35 प्रतिशत से काफी कम है। वर्ष 2000-2001 से 2003-2004 की अवधि में अधोसंरचना अवरोधों तथा वर्ष 2000, 2001 तथा वर्ष 2002 में अल्प वर्षा के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इस अवधि में पंजीकृत विनिर्माण की वृद्धि दर भी ऋणात्मक रही है। पंजीकृत विनिर्माण में यह ऋणात्मक वृद्धि दर वर्ष 2003-04 तक रही है। बाद के वर्षों में, 2005-06 को छोड़कर, इसमें सुधार परिलक्षित है।

वर्ष 2007-08 में स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र में 0.10 प्रतिशत की कमी एवं द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 6.01 प्रतिशत तथा 8.18

प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2007-08 के लिये राज्य सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान तथा उनमें वृद्धि, तालिका 2.1 में दर्शाई गई है।


तालिका 2.1
स्थिर मूल्य पर (आधार वर्ष 1999-2000) सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

(राशि करोड़ में)

क्षेत्र	वर्ष 2006-07	वर्ष 2007-08	वर्ष 2007-08 में गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
कृषि (पशुपालन सहित)	23746.46	23239.03	-2.14
वानिकी	1380.18	1428.30	3.49
मछली पालन	250.69	233.75	-6.76
खनिज एवं खनन	3800.94	4247.54	11.75
विनिर्माण	10012.33	10633.18	6.20
निर्माण	8167.16	8633.77	5.71
विद्युत गैस एवं जल प्रदाय	3397.37	3605.67	6.13
रेल्वे	2153.84	2331.87	8.27
अन्य साधनों से परिवहन एवं भंडारण	3120.79	3362.90	7.76
संचार	2721.86	3155.34	15.93
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	14064.25	14733.57	4.76
बैंकिंग एवं बीमा	4787.79	5651.41	18.04
रीयल स्टेट	7513.50	7861.01	4.63
लोक प्रशासन	4077.91	4594.50	12.67
अन्य सेवार्ये	9149.36	9791.57	7.02
योग	98344.43	103503.41	5.25

2.3 1999-2000 से 2007-08 की अवधि में राज्य की क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था की विकास दर नीचे दर्शाई गई है।

चित्र



2.4 वर्ष 2007-08 के त्वरित अनुमान अनुसार चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद रुपये 142499.93 करोड़ है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9.14 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09 के अग्रिम अनुमान अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद रुपये 162525 करोड़ होना अनुमानित है, जो विगत वर्ष की तुलना में 14.1 प्रतिशत अधिक है।

3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार-

3.1 वर्ष 2007-08 में पुनरीक्षित अनुमान रुपये 3356.37 करोड़ राजस्व आधिक्य के विरुद्ध लेखा अनुसार राजस्व आधिक्य रुपये 5087.62 करोड़ हुआ। इसी तरह राजकोषीय घाटे के पुनरीक्षित अनुमान रुपये 4499.75 करोड़ के विरुद्ध लेखा अनुसार राजकोषीय घाटा रुपये 2783.92 करोड़ हुआ। वर्ष 2008-09 में राजस्व आधिक्य के बजट अनुमान रुपये 2839.78 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर रुपये 3170.06 करोड़ होना संभावित है। राजकोषीय घाटा के बजट अनुमान रुपये 4741.00 करोड़ की तुलना में इसका पुनरीक्षित अनुमान रुपये 5371.16 करोड़ है जो मध्य प्रदेश राजकोषीय

उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के लिये निर्धारित सीमा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत) के भीतर है।

3.2 वर्ष 2007-08 के लेखे के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ रुपये 30688.73 करोड़ हैं जो पुनरीक्षित अनुमान रुपये 29840.01 करोड़ से अधिक है। वर्ष 2008-09 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान रुपये 34949.00 करोड़ है जो बजट अनुमान रुपये 34403.78 करोड़ से 1.58 प्रतिशत अधिक है।

3.3 वर्ष 2007-08 में करेत्तर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ रुपये 2738.18 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 2007-08 के पुनरीक्षित अनुमान रुपये 2559.59 से 6.98 प्रतिशत अधिक है ।

4. संभावनाएं-

4.1 वर्ष 2004-05 से 2007-08 के मध्य, वर्ष 2005-06 को छोड़कर, प्रदेश में पंजीकृत विनिर्माण की विकास दर धनात्मक रही है जिससे आशावादी संकेत मिलते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश भी आकर्षित हुआ है, परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के विकास दर में और सुधार की आशा है।

4.2 सार्वजनिक सिंचाई व्यवस्था में अधिक लोक निवेश तथा कृषि पंपों के लिये पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के परिणाम स्वरूप प्रदेश में कृषि संबंधी संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है । कृषि हेतु साख उपलब्धता भी तीन वर्षों में लगभग दोगुनी हुई है। इससे राज्य की आर्थिक विकास दर में सुधार की आशा है।

4.3 राज्य के राजकोषीय घाटे का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत वर्ष 2007-08 में मात्र 1.95 रहने से राज्य के ऊपर सकल ऋण भार में वृद्धि सीमित रही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिये राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत मान्य किया गया है। वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार

राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत है। वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.73 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।

ख. सिलेक्ट राजकोषीय सूचकों में रुख-

(रुपये करोड़ में)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2007-08	2008-09 (पु.अ.)	2009-10 (ब.अ.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	30688.73	34949.00	39961.03	13.88	14.34
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	22221.14	24767.52	27122.86	11.46	9.51
2.1	राज्य कर	12017.63	14001.86	16075.45	16.51	14.81
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	10203.51	10765.66	11047.41	5.51	2.62
3	करेतर राजस्व	2738.18	3145.31	3936.54	14.87	25.16
4	केन्द्र शासन से सहायक अनुदान	5729.41	7036.17	8901.63	22.81	26.51
5	पूँजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	1932.64	6483.49	6619.45	235.47	2.10
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	118.10	49.83	47.36	-57.81	-4.96
7	शुद्ध लोक ऋण	1693.95	4754.26	6493.71	180.66	36.59
8	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	120.59	1679.40	78.38	1292.65	-95.33
9	कुल प्राप्तियां (1+5)	32621.37	41432.49	46580.48	27.01	12.43
10	राजस्व व्यय (10.1+10.2)	25601.11	31778.94	38262.12	24.13	20.40
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	18794.82	23316.17	26976.35	24.06	15.70
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	6806.29	8462.77	11285.77	24.34	33.36
10.3	राजस्व व्यय : - जिसमें					
10.3.1	व्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन खर्च	4190.77	4483.75	4965.39	6.99	10.74
10.3.2	सहायकी (सब्सिडी)	8468.27	11677.97	13184.00	37.90	12.90
10.3.3	मजदूरी तथा वेतन	6983.08	8883.85	10848.09	27.22	22.11
10.3.4	पेंशन संदाय	1964.28	2588.73	3641.00	31.79	40.65
11	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)	6832.7	6653.02	6793.16	-2.63	2.11
11.1	आयोजनेतर पूँजीगत व्यय	322.23	211.01	63.99	-34.52	-69.67
11.2	आयोजना पूँजीगत व्यय	6510.47	6442.01	6729.17	-1.05	4.46
12	ऋण एवं अग्रिम (12.1+12.2)	1156.94	1938.03	1389.52	67.51	-28.30
12.1	आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम	710.55	1136.01	376.43	59.88	-66.86
12.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम	446.39	802.02	1013.09	79.67	26.32
13	कुल व्यय	33590.75	40369.99	46444.8	20.18	15.05
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	19827.6	24663.19	27416.77	24.39	11.16
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	13763.15	15706.8	19028.03	14.12	21.15
14	राजस्व घाटा आधिक्य (1-10)	5087.62	3170.06	1698.91	-37.69	-46.41
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	-2783.92	-5371.16	-6436.41	92.94	19.83
16	प्राथमिक घाटा (1+6)-(13-10.3.1)	1406.85	-887.41	-1471.02	-163.08	65.77

प्ररूप एफ-2

(नियम 4 देखिए)

मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर बनाया गया है एवं तदनुसार ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के मान से राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों में इस लक्ष्य को 3.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई है। साथ ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने की अवधि भी वर्ष 2009 से बढ़ाकर वर्ष 2010 कर दी गई है। केन्द्र सरकार के बजट 2009-10 में इसकी सीमा 4 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा 13 वें वित्त आयोग को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में भी अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में इस लक्ष्य को आगामी वर्षों में और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि पूंजीगत निवेश में और वृद्धि के द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की दर बढ़ाई जा सके। छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के कारण वेतन के एरियर्स का भार भी आगामी वर्षों में राज्य शासन के ऊपर आएगा जिसके कारण राजस्व आधिक्य में तीव्र हास होने की संभावना है। इसी कारण राज्य सरकार द्वारा 13 वें वित्त आयोग को प्रस्तुत प्रतिवेदन में इस संपूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र शासन द्वारा किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्तानुसार केन्द्र से संभावित अनुदान को समावेशित करते हुए आगामी वर्षों के लिये चल लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिसमें संभावित राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटे के मध्य अनुलोम संबंध है। इन सूचकों के स्वरूप एवं परिमाण को निर्धारित करते हुए वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार सम्बन्धित वर्षों में इनके मध्य परस्पर सामंजस्य रखा जावेगा। 13 वें वित्त आयोग द्वारा इस विषय में यदि अन्य अनुशंसाएँ की जाती हैं तो उनके अनुरूप इनमें आवश्यक संशोधन वांछनीय होगा।

क. राजकोषीय सूचक- चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2007-08	पुनरीक्षित अनुमान 2008-09	बजट अनुमान 2009-10	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य		
					2010-11	2011-12	2012-13
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	3.57	2.04	0.99	1.00	0.75	0.55
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	1.95	3.46	3.73	4.00	4.64	5.00
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया दायित्व	42.73	41.24	40.70	41.35	42.57	43.70

ख. राजकोषीय सूचकों का पूर्वानुमान

(1) राजस्व प्राप्तियाँ :

(क) **कर राजस्व** - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय कर का हस्तांतरण सम्मिलित है। वर्ष 2009-10 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा रुपये 11047.41 करोड़ अनुमानित है जो केन्द्र के अन्तरिम बजट अनुमान से 4.16 प्रतिशत कम है। वर्ष 2010-11 में इस कमी की पूर्ति की संभावना के आधार पर आगामी वर्षों के लिये इसमें सामान्यतः अपेक्षित 12 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर गणना की गई है।

वर्ष 2009-10 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान रुपये 16075.45 करोड़ है, जो राजस्व संग्रहणकर्ता विभागों के आंकलन पर आधारित है। आगामी वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अनुमानित वृद्धि के अनुरूप स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2010-11 में 10.40 प्रतिशत तथा इसके पश्चात 10.80 प्रतिशत की वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है।

(ख) **करेतर राजस्व** - वर्ष 2009-10 (बजट अनुमान) के लिये राज्य का करेतर राजस्व रुपये 3936.54 करोड़ अनुमानित है। आगामी वर्षों के लिये इसमें वानिकी तथा खनन धातुकर्म से प्राप्त होने वाले राजस्व के ट्रेंड/रूझान के अनुसार

6.88 प्रतिशत की वृद्धि पूर्वानुमान किया गया है । विगत वर्ष के नीति विवरण में करेतर राजस्व में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई थी ।

आयोजनागत अनुदानों को सामान्यतः अपेक्षित 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के आधार पर रखा गया है।

(ग) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य कर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2008-09 (पुनरीक्षित अनुमान) में 40.06 प्रतिशत है । वर्ष 2009-10 में यह अनुपात 40.23 प्रतिशत होने की संभावना है।

(घ) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य करेतर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार 9 प्रतिशत है तथा वर्ष 2009-10 में इसका हिस्सा 9.85 प्रतिशत होने की संभावना है।

(2) पूंजीगत प्राप्तियाँ : वर्ष 2009-10 में पूंजीगत प्राप्तियाँ रुपये 6619.45 करोड़ होने की संभावना है जो वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान से 2.10 प्रतिशत अधिक है। बाद के वर्षों में राजकोषीय लक्ष्यों के आधार पर सकल ऋण का अनुमान लगाया गया है तथा संबंधित वर्षों में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता तथा उस समय प्रचलित ब्याज दर के आधार पर नए ऋणों का पोर्टफोलियो निर्धारित किया जायेगा।

(क) केन्द्र से उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2009-10 के लिये रुपये 1838.06 करोड़ केन्द्र सरकार से उधार तथा अग्रिम प्राप्त होने का अनुमान है जिसमें रुपये 1392 करोड़ बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु एवं रुपये 431.61 करोड़ एकमुश्त कर्ज सम्मिलित है।

(ख) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी विशेष प्रतिभूतियां-
बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों में घरेलू बचतकर्ताओं के लिये अल्प बचत योजनाएं अब पहले जैसी आकर्षक न होने से इन योजनाओं के अन्तर्गत शुद्ध संग्रहण में कमी हुई है। राज्य सरकार के लिये वित्त व्यवस्था का यह एक महंगा स्रोत भी है। अतः अन्य स्रोतों से निधि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्षों में इस स्रोत का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जावेगा। वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान रुपये 800 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान रुपये 150 करोड़ है।

(ग) उधारों तथा अग्रिमों की वसूली - 31 मार्च 2008 की स्थिति में रुपये 5823.13 करोड़ के उधार तथा अग्रिम बकाया है। उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग रुपये 2730.26 करोड़ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल व उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों पर है। इस राशि में से मंडल को रुपये 519.68 करोड़ वर्ष 2007-08 में दी गई है एवं मंडल द्वारा पुराने ऋणों की वसूली सहित केवल 0.75 करोड़ की राशि चुकाई गई है।

(घ) वित्तीय संस्थानों से उधार - बाजार ऋण के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान रुपये 2922.98 करोड़ के विरुद्ध पुनरीक्षित अनुमान अनुसार रुपये 4330 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2009-10 के लिये रुपये 5721.11 करोड़ की राशि बाजार ऋण के रूप में प्राप्त होना अनुमानित है तथा आगे के वर्षों के लिये यह राजकोषीय संकेतकों के आधार पर अनुमानित की गई है। नाबार्ड, हुडको, एल. आई. सी. जैसे अन्य संस्थानों से लिये जाने वाले उधार परियोजना-आधारित हैं और समग्र उधार कार्यक्रम का भाग है।

- (इ) **अन्य प्राप्तियां (शुद्ध) - भविष्य निधि आदि** – राज्य की संचित निधि से बाहर लोक लेखे से उधार पूंजीगत प्राप्तियों का एक स्रोत है। उपलब्ध होने पर इनका उपयोग पूंजीगत व्यय के अन्तर की पूर्ति के लिये किया जावेगा।
- (च) **बकाया दायित्व - आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व** – वर्ष 2007-08 के लेखा के अनुसार मार्च 2008 की समाप्ति पर सकल ऋण रुपये 49315.33 करोड़ है जो मार्च 2009 की स्थिति में रुपये 54794.44 करोड़ होना अनुमानित है। इस राशि में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य अविभाजित राशि एवं वित्त लेखे के विवरण संख्या-4 में उल्लेखित राज्य के अन्य दायित्वों की राशि शामिल नहीं है। उक्त दायित्वों की राशि को बकाया दायित्व में जोड़कर यह राशि मार्च 2008 एवं मार्च 2009 की स्थिति में क्रमशः रुपये 55310.86 करोड़ एवं रुपये 60334.80 करोड़ होती है। राज्य द्वारा अन्य संस्थाओं को दी गई प्रत्याभूति की राशि के विरुद्ध लंबित ऋण एवं ब्याज जोड़ने पर राज्य का कुल दायित्व रुपये 60889.85 करोड़ होता है तथा मार्च 2009 तक रुपये 64058.65 करोड़ होना अनुमानित है।

(3) **कुल व्यय :**

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे में आयोजना व्यय तथा आयोजनेतर व्यय को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान अनुसार आयोजना राजस्व व्यय रू 11285.77 करोड़ एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय रुपये 26976.35 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2009-10 के पश्चात आयोजना राजस्व व्यय में 13 से 14 प्रतिशत तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय में 10.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है।

(क) **राजस्व लेखा** - राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज संदाय तथा अनुदान शामिल है।

(एक) **ब्याज संदाय** - वर्ष 2008-09 में उधार लिये जाने वाले ऋण की औसत लागत 8.04 प्रतिशत अनुमानित है तथा इसी आधार पर पूर्वानुमान किये गये हैं।

(दो) **प्रमुख अनुदान (सब्सिडी)** - प्रमुख अनुदान में 10 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि अनुमानित है।

(तीन) **वेतन** - राज्य शासन द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप माह सितंबर 2008 से मूल वेतन तथा इस पर 50 प्रतिशत की राशि का 20 प्रतिशत के बराबर की राशि अंतरिम राहत के रूप में दिये जाने तथा 11 प्रतिशत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता दिये जाने के कारण वर्ष 2008-09 में वर्ष 2007-08 की तुलना में वेतन शीर्ष अन्तर्गत 27.22 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2009-10 में आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के कारण उक्त वर्ष में वेतन मद के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 22.11 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

(चार) **पेंशन** - पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में भी उपरोक्तानुसार अंतर समाप्त होने के कारण वर्ष 2008-09 में इस मद अन्तर्गत वर्ष 2007-08 की तुलना में 31.79 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप पेंशन के पुनर्निर्धारण के कारण वर्ष 2009-10 में वर्ष 2008-09 की तुलना में वृद्धि 40.65 प्रतिशत अनुमानित है परन्तु बाद के वर्षों में इस मद में 12 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है।

(ख) **पूंजीगत लेखा** -

(एक) **उधार तथा अग्रिम** - वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान में बजट अनुमान की तुलना में उधार तथा अग्रिम मद अन्तर्गत वृद्धि हुई है। इस

वृद्धि का मुख्य कारण बिजली परियोजना के लिये कार्यशील पूँजी एवं कर्ज में वृद्धि है।

(दो) **पूँजीगत परिव्यय** - राज्य के पूँजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सडक, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधोसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार पूँजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.28 प्रतिशत होना संभावित है। आधारभूत क्षेत्रों में पूँजीगत निवेश की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्षों में इसमें 16 से 18 प्रतिशत की वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है।

(4) राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2008-09 के दौरान चालू मूल्यों पर औसतन 9 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। वर्ष 2009-10 में Fiscal Stimulus के कारण यह वृद्धि 11 प्रतिशत अनुमानित की गई है तथा उसके पश्चात ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इसमें 9 प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है। समावेशी आर्थिक वृद्धि की अवधारणा को पूर्ण करने हेतु जी.एस.डी.पी. में वृद्धि को और तीव्र करना आवश्यक है तथा राजकोषीय नीति का यह प्रमुख लक्ष्य है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजकोषीय नीति अग्रसर है।

(ग) संवहनीयता का निर्धारण :

(1) **सामान्यतः प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन** - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि हो। वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कर राजस्व एवं जी.एस.डी.पी. का अनुपात 15.95

प्रतिशत है तथा वर्ष 2011-12 तक इसके 16.65 प्रतिशत तक बढ़ने की आशा है। वर्ष 2008-09 में स्वयं के कर राजस्व का जी.एस.डी.पी. से अनुपात 9.01 प्रतिशत है और यह वर्ष 2011-12 में 9.6 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। वर्ष 2008-09 के लिये केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी.एस.डी.पी. से अनुपात 6.93 प्रतिशत है और यह वर्ष 2011-12 तक 7.05 प्रतिशत होना संभावित है। करेतर राजस्व में वृद्धि करने के लिये उपभोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी तथा उसको संवहनीय बनाया जायेगा।

वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 12.83 प्रतिशत था। वर्ष 2009-10 के बजट अनुमानों में यह अनुपात घट कर 12.43 प्रतिशत एवं वर्ष 2011-12 तक घट कर यह 11.01 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। यह संवहनीयता की दृष्टि से लक्षित 15 प्रतिशत की सीमा से काफी कम है।

पूर्व वर्षों में कुल देनदारियों में लोक ऋण, अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि, ब्याज वाली अन्य जमा तथा अधिकतम प्रत्याभूति की राशि शामिल की जाती थी। इसकी अपेक्षा वित्तीय वर्ष 2009-10 में कुल देनदारियों में वित्त लेखे के विवरण संख्या-4 के अन्य दायित्व भी सम्मिलित किये गये हैं तथा अधिकतम प्रत्याभूति के स्थान पर राज्य शासन द्वारा जारी प्रत्याभूति के विरुद्ध लंबित शेष ऋण एवं ब्याज लिये गये हैं।

वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार कुल दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 41.24 प्रतिशत अनुमानित था। यह अनुपात वर्ष 2009-10 में 40.70 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। वर्ष 2012-13 तक यह अनुपात 43.70 प्रतिशत तक हो जाना संभावित है।

- (2) आयोजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान - राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को छठवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान/पेंशन दिये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2008-

09 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार वर्ष 2007-08 की तुलना में वेतन मद में 27.22 प्रतिशत तथा पेंशन मद में 31.79 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की तुलना में राज्य के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की दर में अन्तर को कम करने के कारण वर्ष 2009-10 के लिये वेतन तथा पेंशन मदों में बजट अनुमान में वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में सामान्य से अधिक वृद्धि परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन ने राज्य तथा उसकी संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के पुनरीक्षण के लिये राज्य वेतन आयोग गठित किया गया है। आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर सेवा शर्तों में संशोधन के परिणाम स्वरूप राज्य के आयोजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि संभावित है।

राज्य के द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा ऋण के पोर्टफोलियों के समुचित चयन के कारण ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है। वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार ब्याज मद में वर्ष 2007-08 की तुलना में 6.99 प्रतिशत तथा वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान अनुसार वर्ष 2008-09 की तुलना में 10.74 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। आयोजनेतर राजस्व व्यय में वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2009-10 में 15.70 प्रतिशत तथा इसके पश्चात 10.60 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है।

- (3) पूंजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये उपयोग - राज्य के द्वारा राजस्व आधिक्य की स्थिति वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त की जा चुकी है। वर्ष 2007-08 से सभी पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई, ऊर्जा, सड़क तथा पुलों आदि के निर्माण में किया जा रहा है। आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

- (4) आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना - पेंशन भुगतान में वृद्धि की प्रवृत्ति की गणना विगत 5 वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार की गई है। तदनुसार, पेंशन उत्तरदायित्व का पूर्वानुमान निम्नानुसार है : -

वर्ष	रु. करोड में
2003-04	1197.27
2004-05	1329.89
2005-06	1557.15
2006-07	1729.16
2007-08	1964.28
2008-09	2588.73
2009-10	3641.00
2010-11	4077.92
2011-12	4567.27
2012-13	5115.34
2013-14	5729.18
2014-15	6416.69
2015-16	7186.69
2016-17	8049.09
2017-18	9014.98

टीप:- वर्ष 2002-03 से 2007-08 के आंकड़े वास्तविक लेखा, वर्ष 2008-09 के आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2009-10 के आंकड़े बजट अनुमान के आधार पर हैं।

राज्य के पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में वृद्धि के कारण वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान अनुसार वर्ष 2008-09 की तुलना में 40.65 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, तथा वर्ष 2010-11 एवं आगामी वर्षों में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है।

प्ररूप एफ-3

(देखें नियम 5)

राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

- (1) **राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार :** राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही समावेशी वृद्धि की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। वर्ष 2008-09 में आर्थिक विकास की दर में ह्रास के कारण कर संग्रहण में कुछ कमी आई है। पूर्व वर्षों में ऋणों की अदला बदली तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध ऋण समेकन एवं सहायता सुविधा के कारण ब्याज दरों में कमी हुई है परिणामतः ब्याज भुगतान में वृद्धि नियंत्रित रही है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान में 14.34 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। राज्य के कर राजस्व में वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार वर्ष 2007-08 की तुलना में 16.51 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। राज्य के कर राजस्व में वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान में वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान से 14.81 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। आयोजनेतर राजस्व व्यय अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान में वर्ष 2007-08 की तुलना में 24.06 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान में वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 15.70 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

वर्ष 2009-10 के आयोजनेतर राजस्व व्यय में इस वृद्धि का मुख्य कारण राज्य कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुरूप वेतनमान एवं मंहगाई भत्ते

की अतिरिक्त किश्त दिया जाना है। वेतन भत्तों में इस वृद्धि के फलस्वरूप राज्य का राजस्व आधिक्य वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान रुपये 2839.78 करोड़ की तुलना में वर्ष 2009-10 में घटकर रुपये 1698.91 करोड़ होना अनुमानित है। वर्ष 2009-10 में राजकोषीय घाटा रुपये 6436.41 करोड़ तक रहने का अनुमान है। राजस्व आधिक्य में कमी एवं राजकोषीय घाटे में वृद्धि के बावजूद वर्ष 2008-09 में सभी राजकोषीय संकेतक मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (संशोधित)-2009 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमा में है एवं केन्द्र शासन द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2009-10 में की गई घोषणा के संदर्भ में आगामी वर्ष हेतु राजकोषीय संकेतक निर्धारित सीमा में रहना संभावित है।

(2) आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति : वर्तमान राजकोषीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं अतः राज्य शासन द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु भी लागू किया जावेगा।

(i) कर नीति : राजस्व प्राप्ति में लगातार वृद्धि किये जाने की राज्य शासन की नीति रहेगी। कर प्रणाली में सकारात्मक सुधारों के अन्तर्गत कर आधारों का विस्तार, स्वेच्छा से यथा समय कर देने की प्रवृत्ति निर्मित करने एवं कर प्रशासन का सुदृढ़ीकरण किये जाने की राज्य शासन की नीति है। राज्य शासन, विभागों की कर संग्रहण व्यवस्था को बेहतर करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करेगा।

(ii) व्यय नीति : परिणामों के आधार पर शासन द्वारा किया गया व्यय सफलता / असफलता का परिचायक होता है। यह परिणाम एवं पारदर्शिता के मानकों पर मूल्यांकित किया जा सकता है।

(क) वन विभाग के लिये नवीन आहरण सुविधा : - निर्माण विभागों के लिये 1 अप्रैल, 2007 से नवीन आहरण व्यवस्था (डब्ल्यू.डी.डी.एफ.)

लागू की गई थी। इसी अनुक्रम में वन विभाग के लिये भी 1 अप्रैल, 2009 से नवीन आहरण व्यवस्था (एफ.डी.डी.एफ.) लागू की गई है। इस प्रकार राज्य के सभी विभाग एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के अन्तर्गत आ गये हैं ।

- (ख) **परिणामी बजट :** - वर्ष 2006-07 से परिणामी बजट तैयार किये जाकर विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में वर्ष 2009-10 के परिणामी बजट प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिसमें परिणामों को आंकलित करने वाले मापनीय परिदानों (Quantifiable Deliverables) के रूप में परिणामों (Outcomes) को दर्शाया जाता है।
- (ग) **जेण्डर बजट :** - महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट द्वारा महिलाओं को लाभान्वित करने वाली कुछ प्रमुख योजनाओं का वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सकेगा। इस क्रम में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में क्रमशः 13 एवं 21 विभागों के लिये जेण्डर बजट बनाया गया था। वर्ष 2009-10 में इसकी परिधि में 23 विभागों को लिया गया है।
- (घ) **गैर बजटीय प्राक्कलन (Off budget estimates) :** - व्यय के स्रोतों का पारदर्शी होना व्यय की सफलता को द्विगुणित कर देता है। शासन द्वारा इस पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुये राज्य में चल रही परियोजनाओं में व्यय के स्रोत को दर्शाने के लिये वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में गैर बजटीय प्राक्कलन को भी दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया था । इस प्रक्रिया को वर्ष 2009-10 के लिये भी जारी रखा गया है।

(iii) ऋण एवं आकस्मिक दायित्व : वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है तथा तत्पश्चात वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में राजस्व आधिक्य में धनात्मक वृद्धि देखी गई है। इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुये भी आयोजना पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है।

(3) आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति प्राथमिकताएं :

- (i) राजस्व आय में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी को पर्याप्त रूप से अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है। स्टाम्प तथा पंजीकरण, वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद एवं परिवहन में कम्प्यूटराइजेशन के कार्य को गति प्रदान की जायेगी। नई सूचना तकनीक के उपयोग से कर प्रणाली का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी हो सकेगा।
- (ii) अधोसंरचना विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का प्रयास होगा। इसके अतिरिक्त मानव संसाधनों की उत्पादकता वृद्धि हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्यान्न सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जावेगी।
- (iii) शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन के छः चयनित विभागों के लिये मध्यम अवधि व्यय ढांचा तैयार किया गया है। इसके साथ ही राज्य के लिये मध्यम अवधि राजकोषीय ढांचा भी बनाया जा रहा है ताकि शासकीय विभागों के व्यय का उनकी प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों के आधार पर युक्तियुक्तकरण करते हुये राज्य के संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके तथा राज्य के राजकोषीय अनुमानों का सटीक आंकलन करते हुए राजकोषीय लक्ष्यों के अनुरूप भविष्य के लिये राजकोषीय नीति तैयार की जा सके।

(4) नीति परिवर्तन के मूल आधार :

- (i) राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन में वृद्धि की है। सामाजिक क्षेत्र में राजस्व व्यय का पूरक स्वरूप विदित है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य

क्षेत्र में अधिक शिक्षकों, चिकित्सकों, अर्ध चिकित्सीय कर्मचारियों की आवश्यकता है। प्रदेश में गरीबी तथा कुपोषण की उच्च दर के कारण खाद्यान्न सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसके कारण राजस्व व्यय बढ़ सकता है।

(ii) सामान्यतः ऋण कार्यक्रम तय करते समय मुद्रा बाजार में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। ऋण नीति का उद्देश्य ऋण की औसत लागत कम करना एवं इसकी उत्पादकता को बढ़ाना है।

(iii) कृषि विकास की दर में वृद्धि के लिये कृषि उत्पादन में लगने वाले आदानों (इनपुट) की लागत कम करने तथा उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके कारण किसानों के लिये बिजली तथा ऋण पर अनुदान के स्तर का निर्धारण लोकतांत्रिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक विवेक से लिया जायेगा।

(5) **नीति मूल्यांकन :** अधिनियम के अनुसार वांछित सभी राजकोषीय जानकारीयाँ उपलब्ध कराई गई हैं। मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण, वर्ष 2007-08 के लेखा, वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक प्राक्कलित ट्रेंड/रूझानों के आधार पर तैयार किये गये हैं। उल्लेखित वर्षों के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है। इसके अतिरिक्त अनुमानों को समुचित रूप से स्पष्टीकरण के साथ संशोधित किया गया है जिससे वे यथार्थ पर आधारित रहें। राजकोषीय पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा वक्तव्यों से प्रदर्शित है।

प्ररूप एफ-4

(नियम 7 देखिये)

सिलेक्ट राजकोषीय सूचक

अनु. क्र	मद	पूर्ववर्ती वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	आगामी वर्ष (ब.अ.)
		2007-08	2008-09	2009-10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा	1.95	3.46	3.73
2	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	182.75	59.02	26.40
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	3.57	2.04	0.99
4	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा / आधिक्य	16.58	9.07	4.25
5	कुल दायित्व -सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का अनुपात (प्रतिशत)	42.73	41.24	40.70
6	कुल दायित्व-कुल राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	198.41	183.29	175.61
7	कुल दायित्व-राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	506.67	457.50	436.54
8	राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय की तुलना में (प्रतिशत)	46.94	44.06	42.01
9	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार पूंजीगत परिव्यय	245.43	123.87	105.54
10	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	13.66	12.83	12.43
11	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार वेतन व्यय	22.75	25.42	27.15
12	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार पेंशन व्यय	6.40	7.41	9.11

प्ररूप एफ-5

(नियम 7 देखिये)

क.- राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(रुपये करोड़ में)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये या उठाये जाने वाले			राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिसंदाय/विमोचन			बकाया राशि (31 मार्च को)		
		पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		2007-08 (लेखा)	2008-09 (पु.अ.)	2009-10 (ब.अ.)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (पु.अ.)	2009-10 (ब.अ.)	2007-08 (लेखा)	2008-09 (पु.अ.)	2009-10 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	बाजार उधार	1875.00	4330.00	5721.11	537.95	539.17	775.35	12646.45	16437.28	21383.04
2	केन्द्र से ऋण	539.02	1333.84	1838.06	436.86	445.45	500.75	8781.85	9670.23	11007.54
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	246.05	150.00	300.00	118.22	194.72	194.72	14300.39	14255.67	14360.95
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	710.88	810.00	925.00	583.97	690.24	819.63	6311.65	6431.41	6536.78
5	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0.00	500.00	4000.00	0.00	500.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	7444.01	9249.14	9784.68	7106.37	8979.5	9436.49	13270.53	13540.17	13888.36
7	अन्य जमा									
8	योग	10814.96	16372.98	22568.85	8783.37	11349.08	15726.95	55310.87	60334.77	67176.67

ख. राज्य सरकार के दायित्वों पर अधिमान औसत ब्याज दरें

(प्रतिशत)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये ^		बकाया रकम (31 मार्च को)	
		पूर्व वर्ष (लेखा) 2007-08	चालू वर्ष (पु.अ.) 2008-09	पूर्व वर्ष (लेखा) 2007-08	चालू वर्ष (पु.अ.) 2008-09
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बाजार से उधार	8.44	7.23	7.64	6.34
2	केन्द्र से ऋण	9.00	9.00	7.91	7.75
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	9.50	9.50	9.92	10.28
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	6.66	6.50	7.51	8.35

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये [^]		बकाया रकम (31 मार्च को)	
		पूर्व वर्ष (लेखा) 2007-08	चालू वर्ष (पु.अ.) 2008-09	पूर्व वर्ष (लेखा) 2007-08	चालू वर्ष (पु.अ.) 2008-09
5	भा.रि.बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0.00	8.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	8.00	8.00	8.00	8.00
7	अन्य जमा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कुल औसत दर *	8.32	8.04	8.20	8.14

[^] अधिमान औसत ब्याज दर जहां संबंधित अधिमान उधार ली गई रकम है। यह संविदात्मक आधार पर प्रकल्पित है और तब वार्षिक की गई है।

* अधिमान औसत ब्याज दर, जहां अधिमान राज्य सरकार के दायित्वों के संबंधित घटकों की रकम है।

ग. विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अर्थोपाय अग्रिम/राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओव्हर ड्राफ्ट का ब्यौरा

अनु.क्र.	अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण	पूर्व वर्ष 2007-08	चालू वर्ष 2008-09
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थोपाय अग्रिम की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
2	अधिविकर्षण की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
3	अर्थोपाय अग्रिम के दिवसों की संख्या	0	2*
4	अधिविकर्षण के दिवसों की संख्या	0	0
5	अधिविकर्षण के अवसरों की संख्या	0	0

*अर्थोपाय अग्रिम का कारण राज्य शासन की वित्तीय स्थिति नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक का तकनीकी कारण है।

प्ररूप एफ-6

(नियम 7 देखिये)

संचित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ.)

(रुपये करोड़ में)

पूर्व वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ.में परादेय बकाया	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	पूर्व वर्ष के अंत में/चालू वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ. में परादेय बकाया	चालू वर्ष के आरंभ में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टॉक (प्रतिशत)	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष के अंत में/आगामी वर्ष के आरंभ में परादेय बकाया	चालू वर्ष के अंत में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टॉक (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-

प्ररूप एफ - 7

(नियम 7 देखिये)

सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

प्रवर्ग (कोष्ठक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत अधिकतम रकम (रुपये करोड़ में)	वर्ष के आरंभ में बकाया (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान कमी (वर्ष के दौरान किये गये अवलंब से भिन्न) (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान किया गया अवलंब (रुपये करोड़ में)		कुल परादेय प्रत्याभूतियां (रुपये करोड़ में)	प्रत्याभूति कमीशन या फीस (रुपये करोड़ में)		कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल परादेय प्रत्याभूतियां
					उन्मोचित	अनुन्मोचित		प्राप्त करने योग्य	प्राप्त की गई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-		

* - आंकड़ा (डाटा) चालू वर्ष के लिये 31 दिसम्बर तक है।

प्ररूप एफ-8

(नियम 7 देखिये)

प्रत्याभूति विमोचन निधि (जी. आर. एफ.)

(रुपये करोड़ में)

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर परादेय इनवोक्ड प्रत्याभूतियां	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूतियों की रकम जिनका अवलंब संभाव्य है	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में बढ़ोतरी	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0.00	305.31	0.00	1.00	0.00	306.31

प्ररूप एफ-9

(नियम 7 देखिये)

वित्तीय आस्तियों का विवरण

अनु.क्र.	मद	पूर्व वर्ष के आरंभ पर आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आस्तियों का संचयी योग बही मूल्य (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	ऋण एवं अग्रिम जिसमें	4773.5	1049.63	5823.13
	स्थानीय निकायों को ऋण	769.7	288.58	1058.28
	कंपनियों को ऋण	0	0	0
	अन्य को ऋण	4003.8	761.05	4764.85
2	साम्या विनिधान (इक्विटी इन्वेस्टमेंट)	8161.71	683.28	8844.99
	अंशपूंजी (शेयर)			
	बोनस शेयर			
3	भारत सरकार प्रत्याभूतियों/ कोषालयीन बिलों में विनिधान	3.32	0	3.32
4	14 दिन के इंटरमीडिएट कोषालयीन बिलों में विनिधान	2502.31	253.37	2755.68
5	अन्य वित्तीय विनिधान	--	--	--
6	योग	15440.84	1986.28	17427.12

टिप्पणी : - केवल रुपये दो लाख के ऊपर के मूल्य की आस्तियां दर्ज की जानी है।

प्ररूप एफ-10

(नियम 7 देखिये)

राजस्व जो बढ़ाया गया पर वसूल नहीं किया गया

(मुख्य कर और करेतर)

(जैसा कि पूर्व वर्ष 2007-08 की समाप्ति पर है)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादित राशि (रुपये करोड़ में)	अविवादित राशि (रुपये करोड़ में)	कुल योग (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आय तथा व्यय पर कर			
0023	होटल की प्राप्तियों पर कर	-	-	-
0028	आय तथा व्यय पर कर	-	-	-
	संपत्ति तथा पूंजीगत सेवाओं पर कर			
0029	भू-राजस्व	79.34	37.84	117.18
0030	स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण फीस	28.74	71.51	100.25
	वस्तुओं तथा सेवा पर कर			
0040	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	517.99	53.54	571.53
0039	राज्य आबकारी	8.13	50.79	58.92
0041	यानों पर कर	0	0	0
0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	-	-	-
0043	विद्युत पर कर तथा शुल्क	15.86	3.86	19.72
0853	अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	1240.60	12.19	1252.79
0700-	मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई	0	357.93	357.93
0701-	मध्यम, तथा	0	81.21	81.21
0702	लघु सिंचाई	0	364.75	364.75
0406	वन तथा वन्य जीव	3.01	13.59	16.60
	योग	1893.67	1047.21	2940.88

प्ररूप एफ-11

(नियम 7 देखिये)

क राज्य सरकार में नियोजन

(31 मार्च 2008 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	3118	0.67
2.	2501 से 4300	157262	33.69
3.	4301 से 6100	149757	32.09
4.	6101 से 9700	131991	28.28
5.	9701 से 13300	16174	3.47
6.	13301 से 19300	7919	1.70
7.	19301 से अधिक	509	0.10
	योग	466730	100.00

ख राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजन

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2008 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	555	0.87
2.	2501 से 4300	6404	10.01
3.	4301 से 6100	12447	19.47
4.	6101 से 9700	29232	45.72
5.	9701 से 13300	10625	16.62
6.	13301 से 19300	3419	5.35
7.	19301 से अधिक	1256	1.96
	योग	63938	100.00

(ii) पुराने वेतनमान के आधार पर

1.	800 तक	146	7.95
2.	801 से 1000	585	31.86
3.	1001 से 1400	504	27.45
4.	1401 से 2000	390	21.24
5.	2001 से 3500	193	10.51
6.	3501 से 5000	17	0.93
7.	5001 से अधिक	1	0.06
	योग	1836	100.00

ग अर्द्ध शासकीय निकायों में नियोजन

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2008 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	293	3.74
2.	2501 से 4300	2853	36.40
3.	4301 से 6100	1802	22.99
4.	6101 से 9700	1757	22.42
5.	9701 से 13300	658	8.40
6.	13301 से 19300	422	5.39
7.	19301 से अधिक	52	0.66
	योग	7837	100.00

(ii) पुराने वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2008 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	800 तक	8	0.77
2.	801 से 1000	366	35.23
3.	1001 से 1400	100	9.62
4.	1401 से 2000	265	25.50
5.	2001 से 3500	271	26.09
6.	3501 से 5000	20	1.92
7.	5001 से अधिक	9	0.87
	योग	1039	100.00

घ विश्वविद्यालयों में नियोजन

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2008 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	212	2.20
2.	2501 से 4300	5568	57.82
3.	4301 से 6100	1080	11.22
4.	6101 से 9700	1212	12.59
8.5.	9701 से 13300	843	8.75
6.	13301 से 19300	581	6.03
7.	19301 से अधिक	134	1.39
	योग	9630	100.00

ड- नगरीय स्थानीय निकायों में नियोजन

नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2008 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	18864	26.75
2.	2501 से 4300	42603	60.40
3.	4301 से 6100	6616	9.38
4.	6101 से 9700	20242	2.90
5.	9701 से 13300	334	0.47
6.	13301 से 19300	71	0.10
7.	19301 से अधिक	00	00.00
योग		70530	100.00

च विकास प्राधिकरणों में नियोजन

नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2008 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	241	12.86
2.	2501 से 4300	1007	53.73
3.	4301 से 6100	294	15.69
4.	6101 से 9700	213	11.37
5.	9701 से 13300	84	4.48
6.	13301 से 19300	35	1.87
7.	19301 से अधिक	00	0.00
योग		1874	100.00

छ- ग्रामीण स्थानीय निकायों में नियोजन

नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2008 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	50363	42.25
2.	2501 से 4300	56311	47.24
3.	4301 से 6100	10328	8.66
4.	6101 से 9700	1813	1.52
5.	9701 से 13300	298	0.25
6.	13301 से 19300	94	0.08
7.	19301 से अधिक	3	0.00
योग		119210	100.00